संख्या-41 /2015 / 3006/33-3-2015-100(26)/2015

प्रेषक,

महेन्द्र कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 10 नवम्बर , 2015

विषय- चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों हेतु वर्ष 2015-16 के लिए संस्तुत बुनियादी अनुदान की प्रथम किश्त के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5/शा/590/2015-5/188/2014 , दिनांक 04 नवम्बर 2015 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-2/2015/बी-1-925//दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015 - 16 में अनुदान संख्या-14 में चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों हेतु वर्ष 2015-16 के लिए प्राविधानित बुनियादी अनुदान की धनराशि रू0 2332.4140 करोड में से प्रथम किश्त रू0 1931.30 करोड (रू0 उन्नीस सौ इक्तीस करोड तीस लाख मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-2/2015/बी-1-925//दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय चौदहवें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत किये जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन किया जायेगा।

(3) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को निर्गत करने के पूर्व जनपदवार धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/ उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(4) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(5) शासकीय व्यय में मितव्यतता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(6) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट में जनपदवार उपलब्ध धनराशि की सीमा के ऊपर कदापि नहीं निर्गत किया जायेगा। जनपदवार फॉट के सही होने का दायित्व निदेशक, पंचायती राज का होगा। धनराशि का आहरण/व्यय में भारत सरकार की गाइड लाइन/दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि आवंटन / व्यय किये जाने में चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है ।

2- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक"2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101- पंचायती राज-198- ग्राम पंचायतों को सहायता-04- चौदहवें वित्त आयोग- 0401- सामान्य बुनियादी अनुदान संख्या- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह ओदश वित्त(व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या-1024 /दस-2015, दिनांक 10.11.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- संबंधित बैकों को।
7- निदेशक, पंचायती राज, लेखा उ0प्र0।
8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग'-2 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9- वित्त संसाधन(केन्दीय सहायता) अनुभाग
10- वित्त संसाधन(वित्त आयोग) अनुभाग।
11- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या-41/2015/3006/33-3-2015-100(26)/2015 दिनांक 10 नवम्बर, 2015 का संलग्नक।

चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं हेतु वर्ष 2015-16 के लिए संस्तुत बुनियादी अनुदान की प्रथम किश्त की स्वीकृति धनराशि का जनपदवार फॉट/ /प्रस्ताव

(धनराशि रूपये में)

क्रमांक	जनपद	ग्राम पंचायतों हेतु अनुदान की धनराशि
1	मेरठ	259952980
2	बागपत	195833820
3	गाजियाबाद	232914780
4	गौतमबुद्धनगर	192357480
5	बुलन्दशहर	316733200
6	सहारनपुर	304759140
7	मुजफ्फरनगर	274823990
8	आगरा	312677470
9	अलीगढ़	297227070
10	हाथरस	203172760
11	एटा	200855200
12	कासगंज	176134560
13	मैनपुरी	212829260
14	मथुरा	246047620
15	फिरोजाबाद	235232340
16	बरेली	318471370
17	बदायू	281390410
18	पीलीभीत	230017830
19	शाहजहापुर	272313300
20	मुरादाबाद	217464380
21	अमरोहा	198151380
22	रामपुर	215726210
23	बिजनौर	347440870
24	लखनऊ	276369030
25	रायबरेली	248751440
26	अमेठी	267871310
27	हरदोई	393598940
28	उन्नाव	305338530
29	सीतापुर	438405100
30	खीरी	397075280

31	फैजाबाद	259566720
32	अम्बेडकर नगर	248751440
33	सुल्तानपुर	264394970
34	बाराबंकी	335853070
35	गोण्डा	322527100
36	बलरामपुर	212636130
37	बहराइच	301282800
38	श्रावस्ती	136929170
39	इलाहाबाद	459263140
40	कौशाम्बी	208773530
41	फतेहपुर	269802610
42	प्रतापगढ़	312098080
43	वाराणसी	255317860
44	चन्दौली	209546050
45	गाजीपुर	337011850
46	जौनपुर	422954700
47	मिर्जापुर	272120170
48	सोनभद्र	271154520
49	संतरविदासनगर (भदोही)	183859760
50	हमीरपुर	158173470
51	बांदा	201820850
52	चित्रकूट	170147530
53	महोबा	150834530
54	गोरखपुर	364050050
55	महाराज गंज	260339240
56	देवरिया	286604920
57	कुशीनगर	326196570
58	बस्ती	250489610
59	सन्त कबीर नगर	193323130
60	सिद्धार्थ नगर	244309450
61	आजमगढ़	426624170
62	मऊ	213601780
63	बलिया	297420200
64	कानपुर नगर	203365890
65	कानपुर देहात	241991890
66	फर्रूखाबाद	201434590

67	कन्नौज	193709390
68	इटावा	192550610
69	औरैया	187529230
70	झांसी	201627720
71	ललितपुर	182894110
72	जालौन	180769680
73	शामली	173430740
74	संम्भल	217078120
75	हापुड	238901810
	योग-	19313000000